पी. सी. चेरियन

बनाम

बार्फी देवी

16 अक्टूबर, 1979

[आर. एस. सरकारिया और ओ.चिनाप्पा रेड्डी, जे.जे.]

संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 (1882 का 4) धारा 106 – टायरों की रीट्रेडिंग का व्यवसाय चलाने के लिए परिसर की लीज - चाहे धारा 106 के अंतर्गत लीज 'विनिर्माण' उद्देश्य' के लिए हो।

शब्दों और वाक्यांशों -'विनिर्माण उद्देश्य' - अर्थ - संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, धारा 106.

वादी (प्रत्यर्थी) ने विवादग्रस्त आवास को प्रतिवादी (अपीलार्थी) को 850/- रुपये प्रति वर्ष के के लिए किराए पर दे दिया, जो उक्त परिसर में टायरों की रीट्रेडिंग का व्यवसाय कर रहा था। प्रतिवादी ने किराए के भुगतान में चूक की, और वादी ने किरायेदारी समाप्त करने के लिए एक महीने का नोटिस भेजा। इसके बाद, वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ बकाया किराया और बेदखली की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया।

मुकदमे का इस आधार पर विरोध किया गया था कि विवादित परिसर को विनिर्माण उद्देश्यों के लिए किराए पर दिया गया था और धारा 106, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के मद्देनजर, पट्टे को मकान मालिकन द्वारा केवल छह महीने के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता था, जो कि किरायेदारी का वर्ष की समाप्ति के साथ समाप्त हो रहा था और चूँकि वादी ने केवल 30 दिन का नोटिस दिया था, वह किरायेदारी समाप्त करने के लिए अमान्य और अप्रभावी था।

विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने समवर्ती रूप से किराए के बकाया के साथ-साथ बेदखली के मुकदमे का फैसला सुनाया, जिसकी पृष्टि उच्च न्यायालय ने की। नीचे दी गई सभी न्यायालयों ने माना कि टायरों की रीट्रेडिंग एक 'विनिर्माण उद्देश्य' नहीं है और इसलिए, वादी द्वारा प्रतिवादी को उसकी किरायेदारी समाप्त करने के लिए दिया गया 30 दिन का नोटिस वैध था।

इस न्यायालय में प्रतिवादी की अपील में इस सवाल पर कि क्या टायरों की रीट्रेडिंग का व्यवसाय करने के लिए किसी परिसर का पट्टा संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 186 के विचार के तहत 'विनिर्माण उद्देश्यों' के लिए एक लीज है।

अभिनिर्धारित : 1. निचले न्यायालय यह मानने में सही थे कि वर्तमान मामले में लीज 'विनिर्माण उद्देश्यों' के लिए नहीं था, और किरायेदारी तीस दिन के नोटिस पर सही ढंग से समाप्त किया गया।

- 2. अभिव्यक्ति 'विनिर्माण उद्देश्यों' को संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है. इसलिए, इसे इसके लोकप्रिय अर्थ में समझा जाना चाहिए। 'विनिर्माण' का तात्पर्य परिवर्तन से है लेकिन हर परिवर्तन निर्माण नहीं है। कुछ और भी जरूरी है। परिवर्तन तो होना ही चाहिए; एक विशिष्ट नाम, चरित्र या उपयोग के साथ एक नया और अलग आलेख उभरना चाहिए। [964 ए-बी.]
- 3. 3. यह निर्धारित करने के लिए व्यापक परीक्षण कि क्या कोई प्रिक्रिया एक विनिर्माण प्रक्रिया है, क्या यह पुराने घटकों के लिए पूर्ण परिवर्तन लाती है, तािक व्यावसाियक रूप से भिन्न वस्तु या वस्तु का उत्पादन किया जा सके। यह प्रश्न काफी हद तक तथ्यात्मक है। [966 एफ]
- 4. रीट्रेडिंग के परिणामस्वरूप, एक पुराना टायर एक अलग इकाई नहीं बनता है, न ही कोई नई पहचान प्राप्त करता है। रीट्रेडिंग प्रक्रिया के कारण डीडी टायर अपना मूल चरित्र नहीं खोता है, न ही व्यावसायिक रूप से विशिष्ट या भिन्न इकाई अस्तित्व में लाता है। पुराना टायर एक टायर के रूप में अपनी मूल संरचना, मूल चरित्र और पहचान को बरकरार रखता है, हालांकि रीट्रेडिंग से इसके प्रदर्शन और सेवाक्षमता में सुधार होता है। पुराने टायरों की रीट्रेडिंग पुराने जूतों की रीट्रेडिंग के समान है। जिस तरह पुराने जूतों की रिसोलिंग से कोई व्यावसायिक रूप से अलग इकाई नहीं

बनती, उसी तरह रि-ट्रेडिंग से कोई नई या विशिष्ट वस्तु सामने नहीं आती। [966 ई-जी]

4. 4. अन्य अधिनियमों, जैसे कि फैक्ट्री अधिनियम या उत्पाद शुल्क अधिनियम में दी गई 'विनिर्माण' की परिभाषाओं को संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 106 में अभिव्यिक्त 'विनिर्माण उद्देश्यों' की व्याख्या करते समय आँख बंद करके लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ अन्य में उत्पाद शुल्क अधिनियम जैसे अधिनियमों में 'निर्माण' शब्द को इसमें 'मरम्मत' भी शामिल करके एक विस्तारित अर्थ दिया गया है। [967 ए-बी]

दक्षिण बिहार चीनी मिल बनाम भारत संघ, [1968] 3 एससीआर 21, संदर्भित।

संघीय कराधान आयुक्त बनाम जैक ज़िनाडर प्रोपराइटरी लिमिटेड, (1948-49) 78 सी.एल.आर. 336 प्रतिष्ठित।

एलेनबरी इंजीनियर्स लिमिटेड बनाम रामकृष्ण डालिमया और अन्य, [1973] 2 एस सी आर 257 ; लागु किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1722/1969

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील निर्णय और दिनांकित आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील संख्या 969/67 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 11-12-1968 से विशेष अनुमति द्वारा अपील। एम. एम. अब्दुल खादर, आर. सतीश, विजय के. पंडिता और ई. सी. अग्रवाला. अपीलार्थी की ओर से।

जितेंद्र शर्मा और वी. पी. चौधरी, प्रत्यर्थी की ओर से। न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

सरकारिया, न्यायाधिपति. – क्या टायरों की रीट्रेडिंग का व्यवसाय करने के लिए किसी परिसर की लीज संपित हस्तांतरण अधिनियम की धारा 106 के तहत "विनिर्माण उद्देश्यों" के लिए एक लीज है, यह एकमात्र प्रश्न है जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 11 दिसंबर,1968 का एक निर्णय के खिलाफ इस अपील में विशेष अनुमित द्वारा विचार के लिए आता है। इन परिस्थितियों में यह प्रश्न उठता है।

वादी-प्रतिवादी ने विवादित आवास को प्रतिवादी को 850/- रूपये प्रति वर्ष के किराए पर दे दिया, जो उक्त परिसर में टायरों की रीट्रेडिंग का व्यवसाय कर रहा था। प्रतिवादी ने किराये के भुगतान में चूक की। इसलिए, वादी ने प्रतिवादी को अपनी किरायेदारी समाप्त करने के लिए एक महीने का नोटिस भेजा। इसके बाद, वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ बकाया किराया और बेदखली की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया।

वाद का विरोध किया गया, अन्य बातों के अलावा, इस आधार पर कि विवादित परिसर उसे विनिर्माण उद्देश्यों के लिए किराए पर दिया गया था और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 106 के मद्देनजर, पट्टे को मकान मालिकन द्वारा किरायेदारी के वर्ष की समाप्ति से पहले केवल छह साल बाद समाप्त किया जा सकता था और चूँिक वादी ने केवल 30 दिन का नोटिस दिया था, वह किरायेदारी समाप्त करने के लिए अमान्य और अप्रभावी था।

विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने समवर्ती रूप से किराए के बकाया के साथ-साथ बेदखली के वाद का फैसला सुनाया। प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष एकमात्र आधार यह था कि किरायेदारी विनिर्माण उद्देश्यों के लिए होने के कारण, एक महीने के नोटिस पर समाप्त नहीं की जा सकती। नीचे की सभी न्यायालयों ने इस तर्क को खारिज कर दिया और समवर्ती रूप से माना कि टायरों की रीट्रेडिंग, विनिर्माण उद्देश्य नहीं है और इसलिए, वादी द्वारा प्रतिवादी को उसकी किरायेदारी समाप्त करने के लिए दिया गया 30 दिन का नोटिस वैध था।

प्रतिवादी-अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री खादर का तर्क है कि पुराने टायरों को फिर से तैयार करने की प्रक्रिया में परिष्कृत मशीनरी का उपयोग शामिल है और इसके परिणामस्वरूप एक विशिष्ट वाणिज्यिक वस्तु बनती है। यह तर्क दिया जाता है कि विनिर्माण प्रक्रिया का आवश्यक परीक्षण यह है कि उसे संसाधित की गई पुरानी सामग्री के चरित्र, गुणवत्ता या उपयोगकर्ता में बदलाव लाना चाहिए ताकि एक अलग विपणन योग्य

वस्तु का उत्पादन किया जा सके, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि पुरानी सामग्री को संसाधित किया जाए। पूरी तरह से अपनी पहचान खो देते हैं. यह आग्रह किया गया है कि उच्च न्यायालय ने यह विचार करने में गलती की थी कि पुराने टायरों को फिर से तैयार करने की प्रक्रिया से व्यावसायिक रूप से अलग वस्तु सामने नहीं आती है। इस प्रस्ताव के समर्थन में कि एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बेकार वस्तु उपयोगी हो जाती है और उसके उपयोग का चरित्र बदल जाता है, एक विनिर्माण प्रक्रिया है, वकील ने बिक्री कर आयुक्त, यू. पी. बनाम डॉ. सुख देव [1969] 1 एस. सी. आर 710; एलनबरी इंजीनियर्स प्रा. लि. लिमिटेड बनाम रामकृष्ण दालिमया और अन्य [1973] 2 एस. सी. आर. 257; महाराष्ट्र राज्य बनाम मध्य प्रांत मैंगनीज अयस्क कंपनी लि. [1977] 1 एस सी आर 1002; नॉर्थ बंगाल स्टोर्स लिमिटेड बनाम सदस्य, राजस्व बोर्ड, बंगाल (1938-50) 1 एस.टी.सी. 157; और एक ऑस्ट्रेलियाई मामला; संघीय कराधान आयुक्त बनाम जैक ज़िनाडर प्रोपराइटरी लिमिटेड (1948-49) 78 सी.एल.आर. 336 हवाला दिया है।

संपत्ति अंतरण अधिनियम में अभिव्यक्ति "विनिर्माण उद्देश्यों" को परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए, इसे इसके लोकप्रिय अर्थ में समझा जाना चाहिए। शब्दों और वाक्यांशों के स्थायी संस्करण वॉल्यूम 26 के अनुसार, 'निर्माण' का तात्पर्य एक परिवर्तन से है लेकिन प्रत्येक परिवर्तन

विनिर्माण नहीं है और फिर भी किसी वस्तु में प्रत्येक परिवर्तन उपचार, श्रम और हेरफेर का परिणाम है। लेकिन कुछ और भी आवश्यक है और परिवर्तन होना ही चाहिए; एक विशिष्ट नाम, चरित्र या उपयोग वाला एक नया और अलग लेख सामने आना चाहिए। अभिव्यक्ति "निर्माण" के इस निर्माण को दक्षिण बिहार चीनी मिल बनाम भारत संघ [1968] 3 एस. सी. आर. 21 मामले में इस न्यायालय की अनुमति प्राप्त हुई। लेकिन सीधे तौर पर मामला एलनबरी इंजीनियर्स लिमिटेड बनाम रामकृष्ण डालिमया का है, उक्त; जिसमें इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या एलनबरी इंजीनियर्स के पक्ष में लीज संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 106 के अर्थ के तहत "विनिर्माण उद्देश्यों" के लिए था। उस मामले के तथ्यों पर, प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हुए, इस न्यायालय ने माना कि भले ही पट्टेदार वाहनों की मरम्मत या मरम्मत के लिए कुछ स्पेयर पार्ट्स का निर्माण कर रहे थे, फिर भी लीज का प्रमुख उद्देश्य वाहनों का भंडारण और उनकी मरम्मत और मरम्मत के बाद पुनर्विक्रय करना था। और स्पेयर पार्ट्स का निर्माण निपटान के लिए वाहनों की मरम्मत या मरम्मत के मुख्य उद्देश्य के लिए मात्र आकस्मिक था।

चूंकि तत्काल मामला एलनबरी इंजीनियर्स के अनुपात के अंतर्गत आता है, इसलिए श्री खादर द्वारा उद्धृत सभी मामलों पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है। फिर भी, संक्षेप में एक मामले पर ध्यान देना उचित होगा, अर्थात्, संघीय कराधान आयुक्त बनाम जैक ज़िनांडर प्रोप्राइटरी लिमिटेड, उक्त; जिस पर अधिवक्ता ने अपनी दलील में अच्छा पक्ष रखा है।

जैक ज़िनाडर (उक्त) में, एक फ़रियर कंपनी को ग्राहकों से फर के कपड़े मिले जो इतनी बुरी तरह से खराब हो गए थे कि उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी, और, दोषपूर्ण भागों को हटाने के बाद, विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा क्रमशः उन ग्राहकों के लिए, उपलब्ध सामग्रियों की सीमा, आकार और प्रकृति को ध्यान में रखते ह्ए, कोट, फर केप, फर कॉलर, फर कोट और स्टोल की आधुनिक शैलियों में जो बचा था, उसे फिर से तैयार किया गया। रीमॉडलिंग में कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री लगभग पांच प्रतिशत लाइनिंग को छोड़कर, ग्राहक के परिधान से उपलब्ध सामग्री तक ही सीमित थी। यदि नई लाइनिंग की आवश्यकता थी तो ग्राहक ने उन्हें आपूर्ति की। ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए प्रश्न यह था कि क्या फर के कपड़ों की रीमॉडलिंग द्वारा बनाए गए फर कोट, स्टोल, केप और कॉलर बिक्री कर निर्धारण अधिनियम (नंबर 1), 1930-1942 सामान "निर्मित बेचा गया" के प्रयोजनों के लिए हैं । डिक्सन और विलियम्स जेजे (वेब जे. असहमति) के बह्मत से न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दिया। डिक्सन जे. ने अपने प्रमुख निर्णय में (पृष्ठ 343 पर), मैकनिकोल बनाम पिंच [1906] 2 के.बी. 352 पी. 361 में डार्लिंग जे. की उक्ति को अनुमोदन के साथ उद्धृत करते हुए कहा कि "बनाने या विनिर्माण का सार यह है कि जो बनाया जाता है वह उससे अलग चीज होगी जिससे यह बना है", कहा गया:

"इस मामले में पहला और, ऐसा सोचा जा सकता है, कि निर्णायक सवाल यह है कि क्या रीमॉडलिंग की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बनने वाले परिधान ग्राहक द्वारा सौंपे गए कपड़ों से अलग चीजें हैं, यानी अलग-अलग सामान हैं। यह शायद क़ानून से ज़्यादा तथ्य का प्रश्न है... आयुक्त ने मरम्मत और रीमॉडलिंग के बीच अंतर किया है और मरम्मत के संबंध में बिक्री कर का दावा नहीं करता है, भले ही इसका मतलब क्छ बदलाव हो, उदाहरण के लिए, परिधान की लंबाई। हमें बताया गया है कि एक प्राने या घिसे-पिटे फर कोट को आधुनिक शैली के कोट में बदल दिया जाता है. एक फर नेकलेट को एक स्टोल और एक फर में बदल दिया जाता है नेकलेट या फर स्टोल को एक केप में फिर से तैयार किया गया है। एक पूर्ण लंबाई वाले फर कोट को एक साँटर या कुछ हद तक समान 'स्वैगर' कोट में परिवर्तित किया जा सकता है जो काफी छोटे होते हैं लेकिन भरे ह्ए होते हैं और अक्सर नीचे की तरफ भड़के ह्ए होते हैं। लेकिन रूपांतरण एक जैकेट में हो सकता है, जो कोटी है, जो कमर की लंबाई से कम है और अधिक बारीकी से फिट बैठता है और आमतौर पर सामने से बांधा नहीं जाता है।"

"करदाता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि इन प्रक्रियाओं से परिधान की पहचान नहीं बल्कि उसकी क्छ विशेषताएं ही बदल जाती हैं। ग्राहक एक फर का कपड़ा देता है और एक फर का कपड़ा ले जाता है। इसे बदला और पुनर्निर्मित किया गया है लेकिन यह अभी भी एक फर का परिधान है; यह उसका फर का परिधान है; यह फर का परिधान है जो वह फरीर्स के लिए लाई थी। कमिश्वर की ओर से कहा गया है कि एक अलग फर का परिधान अस्तित्व में लाया गया है. पुराने फर के परिधान का उपयोग केवल उन सामग्रियों या उनमें से कुछ को उपलब्ध कराने के लिए किया गया है जिनसे नया फर का परिधान बनाया गया है। यह व्यावसायिक और पहनने वाले के दृष्टिकोण से एक अलग वर्णन की चीज़ है। यह एक अलग इकाई है और इसकी एक नई पहचान है। इसलिए माल का उत्पादन किया गया है।"

"कुल मिलाकर आयुक्त का दृष्टिकोण अधिक सही प्रतीत होता है। फ़रियर का काम कपड़ों को सजाने के लिए खाल का उपयोग करना है। फैशन, व्यावसायिक उपयोग और उसके ग्राहक की पसंद मिलकर उसके द्वारा बनाए गए परिधानों के विभिन्न विवरणों को अलग करते हैं और उन्हें वस्तुओं की अलग-अलग श्रेणियों के रूप में पहचानने के लिए मजबूर करते हैं। जब वह फर परिधान के विवरण में बनी खालें लेता है और दूसरी खाल तैयार करता है, तो उसे नई चीज तैयार किए बिना मौजूदा चीज में बदलाव करने वाला नहीं माना जा सकता। उन्होंने एक अलग आर्टिकल बनाया है।"

विलियम्स जे., डिक्सन जे. से सहमत थे, कि इस मुद्दे पर प्रश्न तथ्यात्मक स्तर का था और संबंधित प्रक्रिया में वस्तुओं को उनके सेकेंड-हैंड घटकों से अलग-अलग वस्तुओं में निर्मित करना शामिल था। विद्वान न्यायाधीश ने करदाताओं की ओर से इस तर्क को खारिज कर दिया कि कार्य को केवल वस्तुओं की मरम्मत या संशोधन के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो उनके मूल चरित्र को प्रभावित नहीं करता है, इस टिप्पणी के साथ कि "एक बार किए गए कार्य के कारण सामान इस चरित्र को खो देता है वे अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत माल बन जाते हैं"।

यह देखा जाएगा कि जैक ज़िनाडर का मामला वर्तमान मामले से कोई समानता नहीं रखता है। उस मामले के तथ्य बिल्कुल अलग थे. वहां प्राने गन्नेंट से निकाले गए उपयोगी घटकों से, फ्यूरियर ने अपने कौशल और श्रम से व्यावसायिक और पहनने वाले के दृष्टिकोण से अलग-अलग डिजाइन और विवरण के परिधान बनाए। लेकिन मौजूदा मामले में, पुराने टायर को फिर से फैलाने से कोई अलग इकाई नहीं बन जाती है, न ही उसे कोई नई पहचान मिलती है। पढ़ने की प्रक्रिया के कारण पुराना टायर अपना मूल चरित्र नहीं खोता है। यह निर्धारित करने के लिए व्यापक परीक्षण कि क्या कोई प्रक्रिया एक विनिर्माण प्रक्रिया है, क्या यह प्राने घटकों के लिए पूर्ण परिवर्तन लाती है ताकि व्यावसायिक रूप से भिन्न वस्तु या वस्तु का उत्पादन किया जा सके। यह प्रश्न, जैसा कि जैक ज़िनाडर के विद्वान न्यायाधीश ने उचित रूप से जोर दिया है, काफी हद तक तथ्य पर आधारित है। हमारे सामने आए मामले में, नीचे दी गई सभी अदालतों ने एक साथ इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक दिया है। हमारी राय में, नीचे दी गई अदालतों का यह निष्कर्ष अप्राप्य है। पुराने टायरों की रीट्रेडिंग व्यावसायिक रूप से अलग या भिन्न इकाई अस्तित्व में नहीं लाती है। पुराना टायर टायर के रूप में अपने मूल चरित्र या पहचान को बरकरार रखता है। रीट्रेडिंग इसे पूरी तरह से एक अन्य व्यावसायिक लेख में नहीं बदलती है, हालांकि यह एक टायर के रूप में इसके प्रदर्शन और सेवाक्षमता

में सुधार करती है। पुराने टायरों को फिर से लगाना पुराने जूतों को तेल से साफ करने जैसा ही है। जिस तरह पुराने जूतों की रिसोलिंग करने से कोई अलग पहचान वाली व्यावसायिक रूप से अलग इकाई नहीं बनती, उसी तरह रिट्रेडिंग से कोई नई या अलग वस्तु सामने नहीं आती। पुराना टायर अपनी मूल संरचना और पहचान बरकरार रखता है। इसलिए, निचली अदालतें यह मानने में सही थीं कि वर्तमान मामले में पट्टा विनिर्माण उद्देश्यों के लिए नहीं था, और किरायेदारी को तीस दिनों के नोटिस पर समाप्त कर दिया गया था।

इस निर्णय से अलग होने से पहले, हम सावधानी बरत सकते हैं, कि अन्य अधिनियमों, जैसे कि फ़ैक्टरी अधिनियम या उत्पाद शुल्क अधिनियम में दी गई "विनिर्माण" की परिभाषाओं को "विनिर्माण उद्देश्यों" की व्याख्या करते समय आँख बंद करके लागू नहीं किया जाना चाहिए। अनुभाग संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 106. कुछ अधिनियमों में, उदाहरण के लिए उत्पाद शुल्क अधिनियम में, "निर्माण" शब्द को "मरम्मत" भी शामिल करके एक विस्तारित अर्थ दिया गया है।

पूर्वगामी कारण से, अपील विफल हो जाती है और लागत के साथ खारिज की जाती है।

एन. वी. के

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक श्री विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।
